तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी सही नाम नानकराम पुत्र दल्ला है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय प्रार्थी का गलत नाम नानचाराम पुत्र दल्ला दर्ज किया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशनकार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र सरपंच, सर्विस रिकार्ड, मार्कशीट की प्रतियां पेश किये।	
	बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नानचाराम पुत्र दल्ला अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का नाम का सही नाम नानकराम पुत्र दल्ला है की पुष्टि राशनकार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र सरपंच, सर्विस रिकार्ड, मार्कशीट की प्रतियां से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।	
	(बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
	आदेश	
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम नापावाली स्थित भूमि खसरा नम्बर 119 व राजस्व ग्राम चक मंढोली के भूमि खसरा नम्बर 69, 70, 341, 342, 331, 30 ता 35 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में नानचाराम पुत्र दल्ला के स्थान पर नानकराम पुत्र दल्ला अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे।	
	निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।	
	(बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brajesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:07:00 IST
Reason: SelfAttested